दि0 16-10-2017 को Video Conferencing से की गई मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनॉक 16-10-2017 को अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन एवं कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोन के एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) / (कारपोरेट सर्किल)/(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर के साथ Video Conferencing की गई, जिसमें, जोनल/ सम्भागीय एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी भी अपने जनपद मुख्यालय के एन0आई0सी0 केन्द्र पर उपस्थित रहे।

सम्यक् समीक्षोपरान्त निम्न निर्देश दिये गये:-

1. राजस्व संग्रहण के लिए शत-प्रतिशत रिटर्न का दाखिला होना सबसे महत्वपूर्ण है। माह सितम्बर-17 का जी0एस0टी0आर0-3बी का दाखिला मात्र 14 प्रति0 व्यापारियों के द्वारा किया गया है, जबकि उक्त रिटर्न दाखिला की अन्तिम तिथि 20 अक्टूबर-17 है, यह असन्तोषजनक स्थिति है। रिटर्न नान फाईलर व्यापारियों का सबसे अधिक प्रतिशत जोन वाराणसी प्रथम/द्वितीय, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद व फैजाबाद हैं। निर्देशित किया गया कि शेष दिनों में सभी नान फाईलर व्यापारियों से सम्पर्क करके रिटर्न का दाखिला सुनिश्चित कराया जाये।
2. प्रत्येक जोन अपने स्तर से भी रिटर्न फाईल को प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय अखबारों व एफ0एम0 चैनल के माध्यम से विज्ञापन देकर व्यापारियों को अन्तिम तिथि की व उसके उपरान्त रिटर्न फाईल करने पर अर्थदण्ड की जानकारी दी जाये, ताकि व्यापारी समय से अपना रिटर्न फाईल कर सके। रिटर्न फाईल करने हेतु सभी व्यापारियों के ऐक्टिव मोबाईल में निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व एस0एम0एस0 के माध्यम से उन्हें एलर्ट भी किया जाये।
3. माह अगस्त-17 के रिटर्न नान फाईलर व्यापारियों की सूची प्रत्येक जोन को उपलब्ध करा दी गई है, जिसकी खण्डवार समीक्षा करते हुए सभी नान फाईलर व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान करें और यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यारियों को कार्यालय बुलाकर उनका रिटर्न दाखिल कराया जाये। उक्त सूची में रिटर्न फाईल्ड व्यापारियों के नाम शामिल होने की दशा में ऐसे 10 व्यापारियों के नाम जो माह अगस्त-17 का जी0एस0टी0आर0-3बी दाखिल कर चुके हैं, रिटर्न दाखिला के एग्नॉलेजमेण्ट की प्रतिलिपि के साथ तत्काल आई0टी0 अनुभाग को ई-मेल से प्रेषित किया जाये, ताकि ऐसी त्रुटियों को जी0एस0टी0एन0 से सही कराया जा सके।

(कार्य0 एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/कार0)अनु0 ज्वा0कमि0(आई0टी0)/(निरीक्षण) व नोडल अधि0 जोन्स मु0)

4. रिटर्न फाईल करने के सम्बन्ध में सभी जोन व व्यापारिक संगठनों के माध्यम से प्राप्त सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान करा दिया गया है। यदि अब भी इस सम्बन्ध में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का स्क्रीन शाट व विवरण जी0एस0टी0 अनुभाग को ई-मेल सें प्रेषित किया जाये, ताकि समस्या का तत्काल निदान किया जा सके।
5. जिला स्तर पर व्यापार मण्डलों के साथ निरन्तर बैठकें आयोजित कर व्यापारियों की सभी समस्यों का समाधान किया जाये। विभाग के हेल्पडेस्क पर आये व्यापारियों की तकनीकी समस्याओं का तुरन्त निदान कराया जाये और जिन व्यापारियों को रिटर्न दाखिला में किसी प्रकार की असुविधा हो रही है, उन्हें विभागीय कार्यालय में बुलाकर इण्टरनेट की सुविधा प्रदान करते हुए रिटर्न फाईल कराने में सहायता प्रदान की जाये।

(कार्य0 एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/कार0)अनु0 ज्वा0कमि0(विधि)/(जी0एस0टी0) व नोडल अधि0 जोन्स मु0)

6. आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्य हेतु सभी सचल दल इकाईयों व वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा सघन प्रवर्तन कार्य कराया जाये और सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में बिना बिल का माल परिवहित न हो। करापवंचन की दृष्टि से दूषित वाहनों को डिटेन्शन एक घण्टे में ही दे दिया जाये और प्रवर्तन दल द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि को वैट के सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाये।
7. सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) माह में कम से कम 3-4 दिन स्वयं फील्ड में जाकर प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों की सक्रियता की समीक्षा करें और स्वयं भी करापवंचित वाहनों का डिटेन्शन करें।
8. जिस अनुपात से नये पंजीयन बढ़ रहे हैं और व्यापारियों द्वारा माल आयात किया जा रहा है, लगभग उसी अनुपात से ई-वे बिल हेतु पंजीयन बढ़ना चाहिए, लेकिन उस अनुपात से बढ़ नहीं रहा है। अतः इस आधार पर समीक्षा करते हुए भी प्रवर्तन कार्य कराया जाये।

(कार्य0 एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 व ज्वा0 कमि0 (वि0अनु0शा0)अनु0 सम्बन्धित ज्वा0कमि0(सचल दल/वि0अनु0शा0)मु0)

9. प्रदेश में वर्ष 2017-18 के कालवाधित वादों का निस्तारण अभी तक मात्र 20 प्रति0 हुआ है, जिसमें सबसे कम प्रतिशत जोन वाराणसी प्रथम 7.65, सहारनपुर 10.06, वाराणसी द्वितीय 10.73, इटावा 12.05, झॉसी 15.76, मेरठ 16.01 एवं गोरखपुर 16.95 प्रति0 हैं। निर्देशित किया गया कि इस वर्ष के सभी कालवाधित वाद प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर-2017 तक पूर्ण करा लिया जाये,